श्रीगंगानगर

84/15

A3

Gen.

मुन्तकिली प्रकरण सं0 84/2015 अनवानी 1–कृष्ण पुत्र हेतराम 2–मु0 मोहरा पत्नि स्व0 मन्शाराम जातियान जाट निवासीयान राजपुरा पीपेरन तहसील सूरतगढ़ बनाम 1–मनीराम पुत्र लालुराम जाति जाटनिवासी राजपुरा पीपेरन तह0 सूरतगढ 2–नानूराम 3–ईसरराम 4–रामेश्वर 5–शिशपाल 6–केसर 7–सावित्री 8–ओमप्रकाश 9–जगदीश 10–हेतराम 11–डूंगरराम 12–किशन 13–इन्द्राज 14–गिरदावरी 15–शांति 16–पन्नाराम 17–रजीराम 18–नंदराम 19–काशीराम 20–स्टेट 21–जगदीश 22–दौलतराम 23–इन्द्राज 24–विमला 25–महेन्द्रा 26–रामेश्वरी 27–सुनीता 28–देवली 29–पतली 30–सावित्री पुत्री मंशाराम 31–चावली 32–काली 33–धापी 34–माया 35–शांतिदेवी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

27.09.2016

प्राथीगण के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी सं0 1 ता 5 के अभिभाषक श्री राकेश कुमार उपस्थित है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी सं0 1 से 5 के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद सं0 8/2009 अनवानी शांति देवी आदि बनाम नोहर आदि अन्तर्गत धारा 188, 209 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 कातश्कारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है।

मैने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ में लंबित वाद सं0 8/2009 अनवानी शांति देवी आदि बनाम नोहर आदि अन्तर्गत धारा 188, 209 आरटीए में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज0 कातश्कारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। पक्षकारान के अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नही है। अतः मुन्तकिली प्रा0 पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

1713
30-9-16

आदेश आज दिनांक 27.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर